नमाज़-ए-जुम'आ की रक'आत और उसके चंद मसाइल

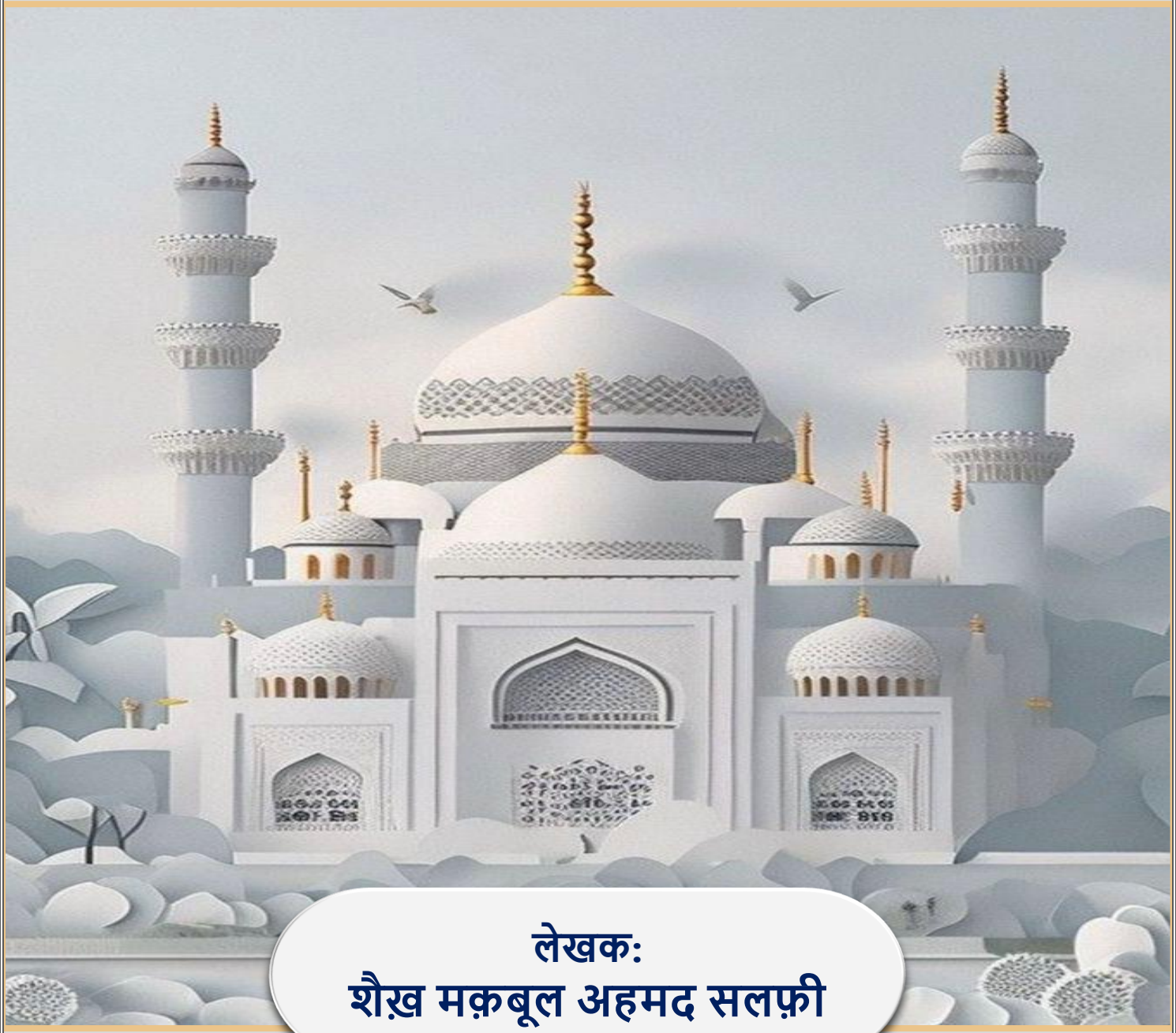

लेखक:
शैख़ मक़बूल अहमद सलफ़ी

Maqubool Ahmed Salafi Maquboolahmad.Blogspot.com
SheikhMaqubool AhmedFatawa islamiceducon@gmail.com
Sheikh Maqbool Ahmed salafi Off page 00966531437827

नमाज़-ए-जुम'आ की रक'आत और उसके चंद मसाइल

लेखक: शैख़ मक़बूल अहमद सलफ़ी

हिंदी अनुवाद: अब्दुल मतीन सैयद

इस्लाम में नमाज़-ए-जुम'आ की बड़ी अहमियत (महत्व) उसके बेशुमार फ़ज़ाइल और उस दिन के बे-पनाह (बहुत ज़्यादा) फ़ुयूज़-ओ-बरकात (नेकियां) हैं इस अहमियत-व-फ़ज़ीलत (नेकी) के पेश-ए-नज़र उस की तैयारी का ख़ुसूसी (ख़ास) हुक्म दिया गया है और इस नमाज़ के वास्ते (लिए) आने के आदाब (नियम) और उससे मुत'अल्लिक़ (बारे में) मुत'अद्दिद (अनेक) अहकाम (आदेश) भी बयान किए गए हैं ख़ुश-नसीब वो है जो जुम'आ की 'उम्दा (उत्तम) तैयारी करे वक़्त से पहले मस्जिद में हाज़िर हो तौफ़ीक़-ए-इलाही के ब-क़द्र (अनुसार) नवाफ़िल की अदाएगी करे ख़ुतबा ग़ौर (ध्यान) से सुने और फ़राइज़-व-सुनन की अदाएगी से लेकर उस दिन से मुत'अल्लिक़ (विषय में) मसनून (जाइज़) आ'माल-ओ-अफ़'आल अंजाम दे मसलन (जैसे) ग़ुस्ल (नहाना) ख़ुशबू, मिस्वाक, सूरा अल्-कहफ़ की तिलावत कसरत-ए-दुरूद और क़ुबूलियत की सा'अत (घड़ी) से इस्तिफ़ादा (नफ़ा') वग़ैरा इस जगह सहीह अहादीस में वारिद (मौजूद) नमाज़-ए-जुम'आ की रक'आत

को बयान करना मक़्सूद (उद्देश्य) है ताकि 'अवाम (जनता) को इस नमाज़ की अस्ल रक'आत से आगाही (जानकारी) हो और लोगों में फैले नमाज़-ए-जुम'आ से मुत'अल्लिक़ (बारे में) ग़लत ख़याल का सद्द-ए-बाब (निवारण) हो नमाज़-ए-जुम'आ की रक'आत को मैं तीन सूरतों में बयान करुंगा।

पहली सूरत (स्थिति)

इस सूरत (स्थिति) में तीन बातें ज़िक्र करना मुफ़ीद (उपयोगी) समझता हूं।

(1) यह बात जानते हुए कि नमाज़-ए-जुम'आ से क़ब्ल (पहले) जुम'आ की कोई मख़्सूस (ख़ास) सुन्नत नहीं है फिर भी ख़ुत्बा से क़ब्ल (पहले) जिस क़द्र नवाफ़िल पढ़ना चाहें हम पढ़ सकते हैं नबी ﷺ का फ़रमान है:

من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قدر له . ثم أنصت حتّى يفرغ من خطبته . ثم يصلي معه . غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام (صحيح مسلم {857}

तर्जमा: जिस ने ग़ुस्ल किया फिर जुम'ए के लिए हाज़िर हुआ फिर उस के मुक़द्दर में जितनी नफ़्ल नमाज़ थी पढ़ी फिर ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनता रहा हत्ता कि ख़तीब अपने ख़ुत्बे से फ़ारिग़ हो गया फिर

उसके साथ नमाज़ पढ़ी उसके इस जुम'ए से लेकर एक और जुम'ए तक के गुनाह बख़शे दिए जाते हैं और मज़ीद (अधिक) तीन दिनों के भी।
(सहीह मुस्लिम:857)

तो यह नमाज़ नवाफ़िल शुमार होगी और उस की कोई तहदीद (हद-बंदी) नहीं है जिस को जितनी रक'अत पढ़ने की ख़्वाहिश हो पढ़े दो, चार, छ, आठ, बारह कोई हरज की बात नहीं है सहाबा-ए-किराम से नमाज़-ए-जुम'आ से क़ब्ल (पहले) मुत'अद्दिद (कई) रक'आत पढ़ना मनक़ूल है मसलन (जैसे) क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से चार और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बारह रक'आत तो उससे हम यह दलील नहीं अख़्ज़ करेंगे कि यह नमाज़-ए-जुम'आ से क़ब्ल (पहले) की सुनन-ए-मुअक्कदा है बल्कि (किंतु) नवाफ़िल के ही ज़ुमरे (दल) में दाख़िल है इसलिए हाफ़िज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ने फ़तह-उल-बारी में लिखा है कि जुम'आ की नमाज़ से क़ब्ल (पहले) कुछ भी सुन्नत नमाज़ साबित नहीं है।

(2) ख़ुत्बा से पहले आने वाला नवाफ़िल न अदा करना चाहे तो कोई हरज नहीं है लेकिन फिर भी कम-अज़-कम दो रक'अत उसे तहिय्यत-उल-मस्जिद अदा करना चाहिए जैसा कि फ़रमान-ए-नबवी है:

إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . (صحيح البخاري: 1167)

तर्जमा: जब तुम में से कोई मस्जिद में आएं तो दो रक'अत नमाज़ पढ़े बग़ैर न बैठे (सहीह बुख़ारी:1167)

(3) बसा-औक़ात (अक्सर) हम में से किसी को जुम'आ के दिन उस वक़्त आना मुमकिन होता है जब इमाम मिम्बर पर ख़ुत्बा के लिए आ जाए या ख़ुत्बा दे रहा हो याद रहे जान बूझ कर जुम'आ के दिन ताख़ीर (देर) से आना बड़ी महरूमी (नाकामी) का सबब (कारण) है जब इमाम मिम्बर पर बैठ जाएं या ख़ुत्बा दे रहा हो तो उस हालत में मस्जिद में दाख़िल होने वाला दो रक'अत तहिय्यत-उल-मस्जिद हल्के अंदाज़ में पढ़ कर बैठे गा इस की दलील ज़ाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मर्वी हदीष है कि एक मर्तबा एक सहाबी सुलैक अल-ग़तफ़ानी रज़ियल्लाहु त'आला अन्हु जुम'आ के दिन उस वक़्त आएं जब रसूलुल्लाह ﷺ ख़ुत्बा दे रहे थे तो वो बैठ गए आप ने उनसे मुख़्तसरन दो रक'अत नमाज़ अदा करने को कहा और फ़रमाया:

إذا جاء أحدكم ، يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما (صحيح مسلم:875)

तर्जमा: जब तुम में से कोई जुम'आ के दिन आए जबकि (हालाँकि) इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो वो दो रक'अतें पढ़े और उनमें इख़्तिसार करे।

(सहीह मुस्लिम:875)

इस दलील से हमें यह बात भी मा'लूम हो गई कि जो लोग ख़ुत्बा के वक़्त आने वाले को दोगाना (दो रक'आत नमाज़) अदा करने से मना' करते हैं दरअस्ल (हक़ीक़त में) वो लोग सुन्नत की मुख़ालिफ़त करते हैं।

दूसरी सूरत (स्थिति)

इस सूरत में यह ज़िक्र करना मक़्सूद (उद्देश्य) है कि नमाज़-ए-जुम'आ के तौर पर सिर्फ़ (केवल) दो रक'अत फ़र्ज़ है।

नबी ﷺ का फ़रमान है:

من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى . (صحيح ابن خزيمة للالباني : 1851)

तर्जमा: जो शख़्स जुम'आ से एक रक'अत पाले तो उसके साथ दूसरी आख़िरी रक'अत मिला लें। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा अल्बानी:1851)

एक दूसरी रिवायत में इस तरह से वारिद है।

من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته (صحيح النسائي : 556)

तर्जमा: जिसने जुम'आ की या किसी और नमाज़ की एक रक'अत पाली तो उस की नमाज़ पूरी हो गई। (सहीह अल-नसाई:556)

मज़कूरा पहली हदीष से नमाज़-ए-जुम'आ के तौर पर दो रक'अत फ़र्ज़ होना साबित होता है वो इस तरह कि नमाज़-ए-जुम'आ में देर से आने वाले किसी मस्बूक़ (पीछे रह जाने वाले) को एक रक'अत इमाम के साथ मिले तो उसे नबी ﷺ ने क़ज़ा के तौर पर सिर्फ़ (केवल) एक रक'अत मज़ीद (अधिक) पढ़ने का हुक्म दिया है गोया (जैसा) कुल दो रक'अतें ही हुई दूसरी हदीष से इस बात का सुबूत मिलता है कि जिसने जुम'आ की एक रक'अत भी पाली तो उसने जुम'आ की नमाज़ पाली अलबत्ता (लेकिन) जो एक रक'अत भी न पा सके वो जुम'आ की नमाज़ से महरूम (वंचित) हो गया उसे अब जुम'आ की जगह ज़ुहर की चार रक'अत नमाज़ अदा करना पड़ेगा मिसाल से यूं समझ लें कि कोई इमाम को दूसरी रक'अत के सज्दा में या तशह्हुद में पाएं तो उससे नमाज़-ए-जुम'आ फ़ौत हो गई उसे ज़ुहर की नमाज़ अदा करनी होगी एक अम्र (बात) की वज़ाहत:
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया जाता है कि जिससे ख़ुत्बा-ए-जुम'आ छूट जाए वो चार रक'अत नमाज़ अदा करें।

كانت الجمعة أربعًا فجعلت ركعتين من أجل الخطبة فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا (رواه ابن أبي شيبة: 1/461)

तर्जमा: जुम'आ की नमाज़ चार रक'अत थी पस (फिर) ख़ुत्बा की वजह से दो रक'अत कर दी गई तो जिस से ख़ुत्बा फ़ौत हो जाए वो चार रक'अत अदा करे। (इब्ने अबी शैबा:1/461)

इसे इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है और इस रिवायत को शैख़ अल्बानी ने मुनक़ते' कहा।
(ارواء الغليل : 3/72)

तीसरी सूरत (स्थिति)

अब यहां नमाज़-ए-जुम'आ के बाद वारिद शुदा रिवायत बयान की जाती हैं जिनमें तीन क़िस्म (प्रकार) की बातें मनक़ूल (उल्लेखित) हैं।

(1) एक क़िस्म नमाज़-ए-जुम'आ के बाद दो रक'अत पढ़ने की है
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है वो नबी ﷺ के मुत'अल्लिक़ (बारे में) बयान करते हैं:

وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين. (صحيح البخاري: 937)

तर्जमा: जुम'आ के बाद नमाज़ नहीं पढ़ते थे ता-आंकि (यहां तक कि) घर लौट आते वापस आकर दो रक'अतें पढ़ते थे।
(सहीह बुख़ारी:937)

(2) दूसरी क़िस्म

जिसमें चार रक'अतें पढ़ने का ज़िक्र है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (صحيح مسلم ؛ 881)

तर्जमा: जब तुम में से कोई जुम'आ पढ़ चुके तो उसके बाद चार रक'अतें पढ़े। (सहीह मुस्लिम:881)

(3) और तीसरी क़िस्म में छ रक'आत का ज़िक्र आया है।

عن ابن عمر قال : كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلَّى أربعًا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقالكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يفعل ذلك (صحيح أبي داود : 1130)

तर्जमा: सय्यदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मुत'अल्लिक़ (बारे में) अता कहते हैं कि वो जब मक्का में होते और जुम'आ पढ़ते तो आगे बढ़ कर दो रक'अतें पढ़ते फिर आगे बढ़ते और चार रक'अतें पढ़ते और जब मदीने में होते और जुम'आ पढ़ते तो उस के बाद घर लौट जाते और दो रक'अतें अदा करते और मस्जिद में न पढ़ते आप से उसके मुत'अल्लिक़ पूछा गया तो कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ऐसे ही किया करते थे (सहीह अबू दाऊद:1130)

इन सारी रिवायत को सामने रखते हुए शैख़-उल-इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह और दीगर (अन्य) बा'ज़ (कुछ) 'उलमा ने कहा

है कि अगर मस्जिद में जुम'आ के बाद सुन्नत अदा करें तो चार रक'अत और घर में अदा करना चाहें तो सिर्फ़ (केवल) दो रक'अत पढ़े मस्जिद में छ रक'अत भी सुन्नत अदा कर सकते हैं जैसा कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से साबित है ताहम घर में अदा करते वक़्त दो रक'अतें हैं।

ख़ुलासा-कलाम यह हुआ कि नमाज़-ए-जुम'आ से पहले कोई सुन्नत नहीं है सिर्फ़ दो रक'अत तहिय्यत-उल-मस्जिद है अलबत्ता (लेकिन) नफ़्ल के तौर पर कोई जिस क़द्र (जितनी) चाहे पढ़े इस की तहदीद (हद-बंदी) नहीं है और नमाज़-ए-जुम'आ के बाद सुन्नत नमाज़ दो, चार और छ रक'अत तक पढ़ना साबित है लिहाज़ा (इसलिए) कोई दो पढ़ ले या कोई चार और कोई छ पढ़ ले सारे तरीक़े दुरुस्त हैं।

बा'ज़ तंबीहात-व-इस्लाहात

पहली बात:

अहनाफ़ के यहां नमाज़-ए-जुम'अ से क़ब्ल (पहले) चार सुन्नत-ए-मुवक्किदा और बाद में चार या छ सुन्नत-ए-मुवक्किदा बयान किया जाता है सू मा'लूम होना चाहिए कि नमाज़-ए-जुम'आ से क़ब्ल (पहले) सुन्नत नमाज़ साबित नहीं है और उससे मुत'अल्लिक़ (बारे में) जिन

आसार सहाबा को बुनियाद बना कर सुन्नत-ए-मुवक्किदा का हुक्म लगाया जाता है वो दरअस्ल (हक़ीक़त में) नवाफ़िल हैं सुनन नहीं।

दूसरी बात:

यह कि नमाज़-ए-जुम'आ को नमाज़-ए-ज़ोहर पर क़ियास (अनुमान) नहीं किया जाएगा न ही उस की तरह रक'आत अदा किए जाएंगे नमाज़-ए-जुम'आ अलग नमाज़ है और उसके अहकाम-व-रक'आत भी मुस्तक़िल तौर पर (हमेशा के लिए) बयान किए गए हैं।

तीसरी बात:

यह है कि जो लोग गाँव देहात में नमाज़-ए-जुम'आ के बाद ज़ुहर इहतियाती के तौर चार रक'अत पढ़ते हैं वो सरासर (बिल्कुल) सुन्नत की मुख़ालिफ़त करते हैं क्यूंकि इस की कोई दलील सुन्नत में मौजूद नहीं है।

YOUTUBE LINK KE LIYE CLICK KARE

WEBSITE KELIYE CLICK KARE

MAZEED PDFS KE LIYE CLICK KARE

DATE :13/12/2024